उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–3

संख्या–1542/IV(3)/2016-06(08)/2016

देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर,2016

अनन्तिम अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–174, 207, 207 क, 207 ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 और 221–ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) नियमावली 2016'' प्रख्यापित की जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित नियमावली को अंतिम रूप से प्रख्यापित किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा 2 के प्राविधानों के दृष्टिगत समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाते है।

2– प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियाँ और सुझाव लिखित रुप में निदेशक, उत्तराखण्ड शहरी विकास विभाग, देहरादून, 31/62, राजपुर रोड़, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून (मेल आई0डी0–directorudd@gmail.com) को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किये जाने चाहिये। केवल उन्ही आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे।

3– प्रस्तावित ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) नियमावली 2016'' के आलेख्य का अवलोकन वेबसाइट–www.udd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा सम्बन्धित नगर निगम कार्यालय से प्रति प्राप्त की जा सकती है।

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या1542(1)/IV(3)/2016-06(08)/2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।
o/c

Adhisuchna

संख्या 1542 (2) / IV(3)/2016-06(08) / 2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड़।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड़ शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकरी उत्तराखण्ड़।
6. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को तीन ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनका प्रसार जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल में व्यापक रुप से होता हो।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्तावित नियमावली की प्रतियॉ जन समान्य को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड़ सचिवाालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)

संयुक्त सचिव।

o/c

Adhisuchna